न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 7/2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामेश्वर पुत्र भेरूराम जाति कीर उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 मातादीन पुत्र भैरूराम जाति कीर उम्र 63 वर्ष पेशा खेती निवासी खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 दुलीचन्द पुत्र भेरूराम जाति कीर उम्र 58 वर्ष पेशा खेती निवासी खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 बालूराम पुत्र भेरूराम जाति कीर उम्र 55 वर्ष पेशा खेती निवासी खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 जेब सिंह पुत्र हीरा सिंह जाति जाट सिख निवासी ग्राम जगरामा जिला लुधियाना पंजाब (फौत)

1/1 सुरेन्द्र पाल सिंह दतक पुत्र जैब सिंह जाति जाट सिख निवासी ग्राम जगरामा जिला लुधियाना पंजाब।

2 सरदार सिंह पुत्र रतन सिंह जाति जाट सिख कमालपुरा तहसील जगरामा जिला लुधियाना पंजांब (फौत)।

2/1 राजसिंह पुत्र स्व. सरदार सिंह जाति जाट सिख निवासी कमालपुरा तहसील जगरामा जिला लुधियाना पंजाब।

2/2 बाघ सिंह पुत्र स्व. सरदार सिंह जाति जाट सिख निवासी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (केम्प मुख्यालय)

कमालपुरा तहसील जगरामा जिला लुधियाना पंजाब।
2/3 गुरूदेव सिंह पुत्र स्व. सरदार सिंह जाति जाट सिख निवासी कमालपुरा तहसील जगरामा जिला लुधियाना पंजाब (फौत)

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम मुतफरिक अपील अन्तर्गत सेक्शन 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांकित 10.01.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी रामेश्वर वगैरह बनाम जैब सिंह मृतक 1/1 सुरेन्द्र पाल सिंह वगैरह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 233/2016

उपस्थित

1. श्री महीपाल सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जुगलकिशोर अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–13.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 233/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांटस ने अप्रार्थीगण रेस्पोडेंटस के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 900 रकबा 1.56 हैक्टेयर ग्राम खटकड़ के सन्दर्भ में उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त के आधार पर प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर अपीलांट एवं उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है अपीलांटस को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 में खातेदारी अधिकार मिल गये खसरा गिरदावरी संवत 2012 में अपीलांटस के पिता भैरू राम की 7 बीघा भूमि पर काश्त दर्ज है जिससे अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा साबित है। खसरा नम्बर 871 बड़ा रकबा है रेस्पोडेंट के नामान्तकरण विभाजित है विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत गिरदावरी के अंकन को नजर अंदाज कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया की विवादित भूमि रामचन्द्र व रामेश्वर को आंवटित हुई थी उनसे जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र माईधन को बेचान किया गया माईधन व जीसुख ने रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र भूमि का बेचान किया गया था। रेस्पोडेंट मौके पर काबिज है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट न तो रिकार्डेड खातेदार है न ही मौके पर काबिज काश्त है विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील अपीलांट खारिज की जायें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट संवत 2012 की खसरा गिरदावरी में स्वंय के पिता भैरू राम की 7 बीघा भूमि पर काश्त का अंकन होने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाह रहे है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संवत 2012 के पश्चात अपीलांट अथवा उनके पिता के कब्जे काश्त का एवं खातेदारी का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। खसरा गिरदावरी प्रथम तो रिकार्ड ऑफ राईट नही है यदि इसके आधार पर कोई अधिकार प्राप्त होने है तो वो मूल वाद के निस्तारण पर तय होगा। इस स्तर पर रेस्पोडेंट विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है केवल मात्र खसरा गिरदावरी 2012 के आधार पर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेंट के पक्ष में मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

सीकर